

प्रपत्र VI

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम- 30/2013 की धारा 11 (1) के अधीन)

संख्या- 86 (ए०)/भू०अ०, प० सिंहभूम, चाईबासा, दिनांक :- 24.04.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है ग्राम- चेड़ईपहाड़ी, थाना नं०- 162, अंचल- तांतनगर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना तांतनगर से मझगोव भाया कुमारडुंगी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न है- "सड़क निर्माण के दौरान ज्यादातर लोगों की जमीन का अंश भाग अधिग्रहित किया जायेगा। परियोजना हेतु भू-अर्जन किये जाने की सहमति दी जाती है"। भू-अर्जन के कारण कुल घून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- चेड़ईपहाड़ी, थाना नं०- 162, अंचल- तांतनगर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कर्मावष 1.56 एकड़ है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	62	425	रैयत	गोडा	0.10	वेनी हो, मंगल सिंह हो पिता- सिकुर हो	424	775	426	सीमा
2	106	774	रैयत		0.28	सेन्ट मरकस	426	802	774 अंश	सड़क
3	89	802	रैयत	दोन	0.04	लखन हो पिता- रामाय हो	774	803	802 अंश	सड़क
4	89	803	रैयत	दोन	0.05	लखन हो पिता- रामाय हो	802	856	803 अंश	सड़क
5	107	856	रैयत		0.32	सोमवारी कुई	803	854	856 अंश	सड़क
6	107	853	रैयत		0.02	सोमवारी कुई	854	सीमा	853 अंश	सड़क
7	86	785	रैयत	दोन	0.10	मोरा हो, चोकरो हो पिता- डोवरो हो	सड़क	785 अंश	876	सीमा
8	27	776	रैयत	दोन	0.18	जीवन मुण्डा पिता- प्रभु सहाय मुण्डा	सड़क	777	सड़क	776 अंश
9	22	777	रैयत	दोन	0.03	जयनाथ कालुन्डिया पिता- जुनस क्रिष्चयान	776	778	सड़क	777 अंश
10	85	782	रैयत	दोन	0.03	मोरा हो पिता- डोवरो हो	778	788	सड़क	782 अंश
11	34	788	रैयत	दोन	0.05	दषमा कुई पिता- तुरी हो	782	800	सड़क	788 अंश
12	70	800	रैयत	दोन	0.03	मरीमस कुई पिता- वाजाय हो	788	798	सड़क	800 अंश
13	69	799	रैयत	दोन	0.05	मरीमस कुई पति- वाजाय हो, वुईदू हो, जोगर हो, घासिया हो पिता- कापुंग हो, लेम्बो कुई पति- मोरा हो	800	858	सड़क	799 अंश

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	107	874	रैयत		0.05	सोमवारी कुई	799	875	858	874 अंश
15	69	875	रैयत	दोन	0.09	मरीमस कुई पति- वाजाय हो, वुईदू हो, जोगर हो, घासिया हो पति- कापुंग हो, लेम्बो कुई पति- मोरा हो	874	सीमा	सड़क	875 अंश
16	69	858	रैयत	पु०परती	0.14	मरीमस कुई पति- वाजाय हो, वुईदू हो, जोगर हो, घासिया हो पति- कापुंग हो, लेम्बो कुई पति- मोरा हो	799	875	सड़क	874
Total Area-					1.56					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा- 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथानिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
प० सिंहभूम, चाईबासा।

अपर उपायुक्त
प० सिंहभूम, चाईबासा।

